

पुराना बस अड्डा गाजियाबाद के सम्मुख स्थित कैनिलवर्थ फ्लाइओवर के वायाडक्ट भाग में जन समुदाय की सुविधा हेतु पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं यातायात व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए ऑटो स्टैण्ड अनुज्ञप्ति/किराया पद्धति के आधार पर हेतु नियम व शर्तें:-

क्र०सं०	नियम व शर्तें
1.	<p>आवेदन की प्रक्रिया :-</p> <p>किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को बोली में भाग लेने की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह तालिकानुसार निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर, जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय एवं गाजियाबाद में भुगतान योग्य हो, नीलामी तिथि से पूर्व सन्दर्भित बैंक में जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र एवं विवरण पुस्तिका एसडीएफसी बैंक, की निम्न शाखाओं से प्राप्त किये जा सकते हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raj Nagar – Ghaziabad : Hdfc Bank Ltd, D-44, Rdc, Raj Nagag Ghaziabad UP 201001 2. Vivek Vihar Ashoka Niketan : Hdfc Bank Ltd, Plot No.1, Manak Vihar, Delhi, New Delhi, Delhi 110092 3. Meerut – Uttar Pradesh : 381, Western Kachehari Road,, Meerut, Uttar Pradesh 250001 4. Ghaziabad – Vaishali : Vc-1, Sector-1, Adj To Income Tax Off, Vaishali,, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201012 5. Ghaziabad – Shalimar Garden : Hdfc Bank Ltd., C -8, Ocean Plaza, Shalimar Garden Extn -2, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201005 6. Ghaziabad – Indirapuram : Hdfc Bank Ltd., G 2 & 3 Windsor Park, 5 Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201014 7. Hapur – Uttar Pradesh : Railway Road 2, Nagar Palika No.2-1/1828, Hap, Hapur, Uttar Pradesh 245101 8. Bullandshahr – Uttar Pradesh : 460 Dm Road, Bullandshahr,Bullandshahr, Uttar Pradesh 203001 9. Pilkhuwa : Hdfc Bank Ltd, Motor Stand, Delhi Garh Road, Nh -24, Philkuwa, Ghaziabad, Uttar Pradesh 245304 10. RAJENDER NAGAR : Hdfc Bank Ltd, Plot No. 83, Sector -5, Rajender Nagar, Dist -Ghaziabad, Sahibabad, Uttar Pradesh 201005 11. Garh Road – Meerut : Hdfc Bank Ltd, Suryansh Plaza, 171/1, Taru Kunj, Garh Road, Meerut, Uttar Pradesh 250004 12. Muradnagar : Property No 578 & 587, Shimla Market, Delhi Meerut Road Muradnagar 201206 13. Ilaichipur : KH No 320 Ilaichipur Uttar Pradesh 201102 14. Tronica City Loni : Hdfc Bank Ltd, Shop No. 107, Rms Housing Society, Tronica City, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201102 15. Ansals Arcade – Sector 18 Noida : Ansals Fortune Arcade, K – Block, Sector – 18, Noida, Noida, Uttar Pradesh 201301 16. Sector 62 – Noida : Hdfc Bank Ltd, C-25, Stellar It Park, Noida, Uttar Pradesh 201306 17. Dilshad Colony : Hdfc Bank Ltd, F-10, Dilshad Colony, New Delhi, Delhi 110095
2.	<p>अर्हताए:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वायाडक्ट भाग की उक्त सामान्य सुविधाओं का अनुरक्षण एक वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञप्ति पर दिया जायेगा। 2. सामान्य सुविधाओं के अनुरक्षण में पार्कों का रख-रखाव व उक्त भाग में आने वाले वाहनों प्रमुखतः ऑटो रिक्शा को एक सुनियोजित व्यवस्था के अन्तर्गत पार्क कराना ताकि आवागमन में कोई असुविधा न हो और ट्रैफिक जाम न हो, सम्मिलित है। 3. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले व्यस्क व्यक्ति/संस्था को पत्राचार हेतु अपने नाम व पता के प्रमाणन हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित अभिलेख/राशन कार्ड/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र/वाहन चालक अनुज्ञा/आयकर खाता संख्या प्रमाण पत्र/व्यापार कर खाता संख्या प्रमाण पत्र/नगर निगम कर निर्धारण प्रमाण पत्र/भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा निर्गत टेलीफोन बिल की प्रमाणित छायाप्रति को प्रस्तुत करना होगा। 4. उक्त सामान्य सुविधाओं के अनुरक्षण हेतु आरक्षित मूल्य की 20 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर धरोहर राशि के रूप में जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय एवं गाजियाबाद में भुगतान योग्य हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्राधिकरण सभागार में जमा करना होगा। 5. किसी भी बोलीदाता को अपनी बोली वापिस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। 6. उपाध्यक्ष, जनहित/प्राधिकरण हित में किसी भी/सभी सामान्य सुविधाओं के अनुरक्षण की नीलामी अनुज्ञप्ति हेतु नीलामी किसी भी समय स्थगित कर सकते हैं। 7. उपाध्यक्ष को उच्चतम बोलीदाता सहित किसी भी बोलीदाता की बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है। 8. उच्चतम बोलीदाता को कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र प्रेषित तिथि से 07 दिन के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी। उक्त धनराशि जमा न कराये जाने की दशा में नीलामी के समय जमा की गयी धरोहर राशि की 50 प्रतिशत धनराशि की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। 9. नीलामी स्वीकृति की दशा में उच्चतम बोलीदाता को नीलामी स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर प्राधिकरण के निर्धारित प्रारूप पर अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित करना होगा। 10. नीलामी स्वीकृति उपरान्त बोलीदाता द्वारा ऑटो पार्किंग हेतु 10.00 प्रति एन्ट्री + सभी कर अतिरिक्त की दर से पार्किंग शुल्क बोर्ड पर दर्शाना होगा। 11. पार्किंग क्षेत्र में आने वाले ऑटो रिक्शा को पार्क कराने हेतु 10.00 प्रति एन्ट्री + सभी कर अतिरिक्त दर से पार्किंग हेतु धनराशि वसूलने का हक अनुज्ञप्तिगृहिता को होगा। 12. कार्यस्थल का कब्जा नियमानुसार अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादन के पश्चात अनुज्ञप्तिगृहिता को दिया जायेगा। 13. सामान्य सेवाओं का अनुरक्षण का आवंटन पूर्णतः अस्थायी है तथा मात्र एक वर्ष की अवधि के लिए है। उक्त एक वर्ष की अवधि अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित होकर कब्जा दिये जाने की तिथि से आरम्भ होगी। अनुज्ञप्तिगृहिता को एक वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि को ही स्थल को खाली कर प्राधिकरण को उक्त स्थल का कब्जा सौंपना होगा। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर स्थल का कब्जा स्वयं प्राप्त कर लेगा तथा उक्त अवधि की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति अनुज्ञप्तिगृहिता से वसूल किया जायेगा एवं उसे भविष्य में प्राधिकरण में होने वाली नीलामी हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

14.	अनुज्ञप्तिगृहिता पॉर्किंग स्थल का उपयोग केवल ऑटो रिक्शा की पॉर्किंग हेतु ही करेगा। प्राधिकरण द्वारा ऑटो पॉर्किंग हेतु 1000 प्रति एन्ट्री + सभी कर अतिरिक्त दर निर्धारित की गयी है। उक्त दरों के अनुसार ही अनुज्ञप्तिगृहिता पॉर्किंग शुल्क को प्राप्त कर सकता है। अधिक पॉर्किंग शुल्क प्राप्त करने अथवा पॉर्किंग स्टैण्ड का अन्य कोई उपयोग करने की दशा में पॉर्किंग स्टैण्ड का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा अनुज्ञप्तिगृहिता की जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
15.	पॉर्किंग स्टैण्ड एवं पार्को का समस्त अनुरक्षण अनुज्ञप्तिगृहिता द्वारा स्वयं किया जायेगा।
16.	अनुज्ञप्तिकर्ता को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि किसी भी नियम एवं शर्त को संशोधित कर सकता है। इसके लिए कोई पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।
17.	अनुज्ञप्तिगृहिता को शुल्क का भुगतान देय तिथि तक करना होगा अन्यथा नियमानुसार 21 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।
18.	अनुज्ञप्ति विलेख पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अनुज्ञप्तिगृहिता द्वारा किया जायेगा।
19.	अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने पर अनुज्ञप्तिगृहिता की मांग पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अनुज्ञप्ति अवधि बढ़ाये जाने अथवा उसे पुनः विज्ञापित किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
20.	उक्त सामान्य सुविधाओं के अनुरक्षण से सम्बन्धित किसी भी वाद/विवाद की दशा में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
21.	किसी भी विवाद के निस्तारण का न्याय क्षेत्र गाजियाबाद स्थित न्यायालय होगा।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा
प्रस्तावित नीलामी में प्रतिभाग हेतु प्राधिकार-पत्र

सेवा में,

नीलामी अधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद

सत्यापित फोटो

महोदय,

मैंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक को नीलाम किये जा रहे ऑटो स्टैण्ड योजना गाजियाबाद की नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन किया है।

किन्ही कारणों वंश में उक्त नीलामी में स्वयं भाग नहीं ले पा रहा/रही हूँ। अतः उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु मैं श्री/कु./श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु वर्ष (लगभग) निवासी को जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये गये हैं, को नीलामी में बोली देने हेतु अधिकृत करता/करती हूँ। मेरे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जो भी बोली दी जायेगी वह मुझे पूर्णतया मान्य होगी।

भवदीय :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम:

हस्ताक्षर प्रमाणित

पता:

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

पुराना बस अड्डा गाजियाबाद के सम्मुख स्थित कैनिलवर्थ पलाईओवर के वायाडक्ट भाग में जनसमुदाय की सुविधा हेतु पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं यातायात व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए ऑटो स्टैण्ड

दिनांक : 25.03.2025

क्र. सं.	स्थल का नाम	लाईसेंस अवधि	आरक्षित शुल्क प्रतिवर्ष (₹)	धरोहर राशि (₹)
1	2	3	4	5
1	पुराना बस अड्डा गाजियाबाद के सम्मुख स्थित कैनिलवर्थ पलाई ओवर के वायाडक्ट भाग में जन समुदाय की सुविधा हेतु पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं यातायात व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए ऑटो स्टैण्ड	01 वर्ष	7,50,000.00	1,50,000.00